आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 84/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा एसएमई शाखा, जयपुर साउथ, 22 गोदाम इंडस्ट्रीयल स्टेट, जयपुर ।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. मैसर्स आर. डी. सिटी हॉस्पिटल
   पता :– दुकान नम्बर 10/11, सारण, तिराहा, केनरा बैंक बिल्डिंग, बाल हनुमान कालोनी, बस्सी, जयपुर।
2. श्री रमेश चन्द मीणा पुत्र श्री सुखराम मीणा
   पता :– 1. प्लाट नम्बर ए–32, केशव नगर, हवा सडक, सिविल लाईन्स, सोडाला, जयपुर।
   2. वार्ड नम्बर 1, मंत्री जी की ढाणी, मन्डावरी दौसा।
   3. फ्लेट नम्बर एफ–11, प्रथम तल, प्लाट नम्बर 6, नंदन विहार, गांव महल रोड, जगतपुरा, जयपुर।

अप्रार्थी ऋणी

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :–

1. बैक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश दिनांकः **16.02.2021**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19.12.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री रमेश चन्द मीणा पुत्र श्री सुखराम मीणा के स्वामित्व की सम्पति प्लाट नम्बर 32–ए, केशव नगर, हवा सडक, सिविल लाईन्स, सोडाला क्षेत्रफल 391.20 वर्गगज को बंधक कर एवं बैंक फाईनेन्स द्वारा खरीदे गये चिकित्सा उपकरणों सहित वर्तमान और भविष्य में सम्पूर्ण वर्तमान परिसम्पतियों पर हाईपोथिकेटेड कर राशि 3,25,00,000/–रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.10.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 3,25,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित कार बंन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थी का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 3,38,52,213/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थी को दिनांक 28.11.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थी द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री रमेश चन्द मीणा पुत्र श्री सुखराम मीणा के स्वामित्व की सम्पति प्लाट नम्बर 32-ए, केशव नगर, हवा सडक, सिविल लाईन्स, सोडाला क्षेत्रफल 391.20 वर्गगज को बंधक कर एवं बैंक फाईनेन्स द्वारा खरीदे गये चिकित्सा उपकरणों सहित वर्तमान और भविष्य में सम्पूर्ण वर्तमान परिसम्पतियों पर हाईपोथिकेटेड का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त कार का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

जिला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) जिला जयपुर (राज.)

7. आदेश आज दिनांक 16.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

16/2/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर